



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277044
CG-DL-E-10102026-277044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5342]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5342]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5554(अ).— यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या और का.आ. 55 दिनांक (अ), 05 जनवरी, 2026 (अ) द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में पूरा एनएच 709ए, अर्थात् गढ़मुक्तेश्वर के पास एनएच-9 के जंक्शन से शुरू होकर मेरठ और बुढ़ाना को जोड़ने वाला राजमार्ग जो ताजपुर सिंभालका (शामली रिंग रोड पर) के पास एनएच-709बी में मिलता है और फिर उत्तर प्रदेश राज्य में टपराना (शामली रिंग रोड पर) के पास एनएच-709 एडी के जंक्शन से शुरू होकर करनाल, जींद और मुंडल से गुजरता है और हरियाणा राज्य में भिवानी के पास एनएच-709 के जंक्शन पर खत्म होता है; को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मौजूदा प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना का.आ. 2046(अ) दिनांक 25.06.2020 अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709ए के भिवानी-मुंधल-जिंद खंड (डिजाइन किलोमीटर 6.875 से 68.857 तक, वर्तमान किलोमीटर 6.875 से 68.857 तक) और जिंद-करनाल खंड (डिजाइन किलोमीटर 68.857 से 154.219 तक, वर्तमान किलोमीटर 68.660 से 153.700 तक) तथा हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा तक करनाल-मेरठ खंड डिजाइन किलोमीटर 0.000 से 14.445 तक, वर्तमान किलोमीटर 153.700 से 168.145 तक) के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार या अधिक लेन वाले 34.774

किमी की निवल सड़क लंबाई [सारणी-2] और 0.73 किमी (0.073 किमी लंबाई वाली) [सारणी-3] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 में कॉलम 2 में उल्लिखित दर से और पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन वाले 126.048 किमी निवल सड़क लंबाई [सारणी- 2] और 8.94 किमी (0.894 किमी लंबाई वाली) [सारणी-4] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% की दर से शुल्क उद्गृहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी - 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	जिस दर पर शुल्क लिया जाता है
हिसार जिले के बास गांव के पास एनएच-709ए के डिजाइन चेनेज किमी 41.632 (मौजूदा चेनेज 41.632) पर	58.667 (संरचना की लंबाई 60 मीटर से अधिक को छोड़कर)	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%।
	2.837 संरचना की लंबाई 60 मीटर से अधिक को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
करनाल जिले के पियॉंट गांव के पास एनएच-709ए के डिजाइन चेनेज किमी 128.800 (मौजूदा चेनेज 128.800) पर	67.381 संरचना की लंबाई 60 मीटर से अधिक को छोड़कर)	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%।
	31.937 (संरचना की लंबाई 60 मीटर से अधिक को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके संरचनाओं की लंबाई राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी - 3			
शुल्क प्लाजा (चेनेज) का अवस्थान	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क की लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
हिसार जिले के बास गांव के पास एनएच-709ए के डिजाइन चेनेज किमी 41.632 (मौजूदा चेनेज 41.632) पर	0.478*	4.780	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%।
करनाल जिले के पियोंट गांव के पास एनएच-709ए के डिजाइन चेनेज किमी 128.800 (मौजूदा चेनेज 128.800) पर	0.416**	4.160	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%।
	0.073**	0.730	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%।

*60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्रम. सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
1.	64.226	64.332	आरओबी (2 लेन)	0.106
2.	68.513	68.626	आरओबी (2 लेन)	0.113
3.	26.739	26.998	आरओबी (2 लेन)	0.259
कुल				0.478

**60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है :

क्रम. सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी)
	किमी से	किमी तक		
1.	147.900	147.973	बड़ा पुल (4 लेन)	0.073
2.	149.242	149.658	आरओबी (2 लेन)	0.416
कुल				0.489

3. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000 रुपये (तीन सौ साठ रुपये मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर एकाधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

सारणी - 4		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफ़ा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यत की अवधि
एक तरफ की यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तिथि से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सेवा सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त सारणी- 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी. शुल्क के आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1173.61 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा /13013/सीओ/19-20/भिवानी-करनाल(ईपीसी)-हरियाणा/ ई-181641]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2026

S.O. 5554(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. No. 55(E) dated 05.01.2026 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the entire NH 709A in the State of Uttar Pradesh and Haryana i.e. the highway starting from its junction with NH-9 near Garhmukteswar connecting Meerut, Budhana, merging with NH-709B near Tajpur Simbhalka (on Shamli Ring Road) and again starting from Junction of NH-709AD near Taprana (on Shamli Ring Road) in the state of Uttar Pradesh, Karnal, Jind, Mundal and terminating at its junction with NH-709 near Bhiwani in the state of Haryana to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of existing user fee notification S.O. 2046(E) dated 25.06.2020, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 34.774 km [Table 2] and for equivalent structure length (having more than 60m length) of 0.73 Km (having total length of 0.073 Km [Table 3]), for four or more lane and at 60% of base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 126.048 km [Table 2], and for equivalent length of two lane structure (having more than 60m length) of 8.94 Km (having total length of 0.894 Km, [Table 4]), for two lane with paved shoulders, on the type of vehicle specified in column (1) of Table 1, of Bhiwani-Mundhal-Jind section from Design Km 6.875 to Km 68.857 (Existing Km. 6.875 to Km 68.857) and Jind-Karnal section from design Km. 68.857 to Km. 154.219 (existing Km.68.660 to Km.153.700) and Karnal-Meerut upto Haryana/UP Border from Design Km. 0.000 to Km. 14.445 (Existing Km. 153.700 to Km. 168.145) of National Highway No. 709A in the State of Haryana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table - 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table - 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 41.632 design chainage (existing chainage at km 41.632) of NH-709A near village Bass in Hisar district.	58.667 (Excluding length of structure > 60 m)	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1
	2.837 (Excluding length of structure > 60 m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1
At km 128.800 design chainage (existing chainage at km 128.800) of NH-709A near village Peont in Karnal district.	67.381 (Excluding length of structure > 60 m)	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1
	31.937 (Excluding length of structure > 60 m)	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table - 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (In km)	Rate at which fee is payable
At km 41.632 design chainage (existing chainage at km 41.632) of NH-709A near village Bass in Hisar district.	0.478*	4.780	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1
At km 128.800 design chainage (existing chainage at km 128.800) of NH-709A near village Peont in Karnal district.	0.416**	4.160	60% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1
	0.073**	0.730	100% for two lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1

*Details of structures having length more than 60m is as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km)
	From Km	To Km		
1.	64.226	64.332	ROB (2 Lane)	0.106
2.	68.513	68.626	ROB (2 Lane)	0.113
3.	26.739	26.998	ROB (2 Lane)	0.259
Total				0.478

**Details of structures having length more than 60m is as under:

S. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km)
	From Km	To Km		
1.	147.900	147.973	Major Bridge (4 Lane)	0.073
2.	149.242	149.658	ROB (2 Lane)	0.416
Total				0.489

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 360/- (Rupees Three Hundred Sixty only) for the year 2026-2027 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table - 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 1173.61 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/13013/CO/19-20/Bhiwani-Karnal(EPC)-Haryana/ E-181641]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.